

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय-रॉची

संख्यांक 157

तारीख 24-7-2015

प्रबंधक,

R.B Springdale (P) School Hetha Paratoli
Block-Ratu, Distt-Ranchi

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 23.12.2012 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं R.B Springdale (P) School Hetha Paratoli Block-Ratu, Distt-Ranchi को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से कक्षा 1 (एक) से 8 (आठ) तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा ।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवर्चित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय की अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अगल बैंक खाता संधारित करेगा ।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्कीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा ।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-
 - I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा ।
 - III. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा ।
 - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा उनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जि कर लेंगे ।

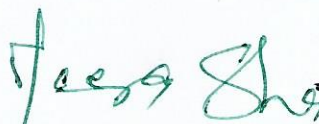


Chairman
R.B Springdale (P) School

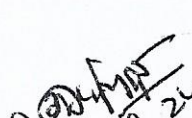
- VII. अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा ।
10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
- I. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - राजस्व ग्राम - हेथा, थाना- रातु कुल रबका - 2.30 एकड़, खाता संख्या 48 प्लॉट नं० 29 एवं 31 (कमशः 09 डिसमील एवं 2.21 एकड़)
 - II. कुल निर्मित क्षेत्र - 1 एकड़
 - III. क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 1 एकड़
 - IV. कक्षाओं की संख्या - 10 (प्राथमिक-08/पूर्व प्राथमिक - 02)
 - V. प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष - 03(सभी अलग अलग)
 - VI. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - बालक - 01/बालिका - 01
 - VII. पेयजल सुविधा - सप्लाई /बोरिंग पेयजल सुविधा (टंकी सहित)
 - VIII. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय) - लागू नहीं ।
 - IX. बाधारहित पहुँच - उपलब्ध है ।
 - X. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्ध
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी ।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा ।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा ।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी ।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये ।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा । सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा ।

(यह आदेश राज्य सरकार की सहमति से निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड के पत्रांक 8/प्र 5-12/2015/1629 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा दी गई विभागीय सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।)

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक **2015-002/2015-16** हैं । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये ।


Chairman
 R.B. Springdale (P) School
 Ranchi




 24.7.15
 जिला शिक्षा अधीक्षक
 राँची